ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद संख्या 15/14

रामकिशुन यादव –बनाम– भीखी यादव वगै0

दिनांक	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद आवेदक रामकिशुन यादव मौजा कोयली, थाना बरही, जिला हजारीबाग के आवेदन पर लाया गया है। आवेदन में वर्णित है कि खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 1427/94, रकबा 47 डी0 गैरमजरूआ खास खाते की जमीन पर विपक्षीगण द्वारा भूमि हडपने के नियत से फर्जी कागजात के आधार पर अपना दावा करने के कारण आवेदक द्वारा वाद लाया गया है। आवेदक के आवेदन के आधार पर विविध वाद संख्या 15/14 लाया गया एवं उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं अचंल अधिकारी, बरही से उक्त भूमि का विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

उक्त प्रक्रिया में प्रथम पक्ष ने अपना कारणपृच्छा एवं लिखित बहस दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि उक्त वाद आवेदक के आवेदन पर लाया गया। उक्त खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 1427/94, रकबा 47 डी0 जिसकी चौहदी उ0–बुधन महतो, द0–छोटू मियां, पू0+प0–परती गांव ग्राम कोयली, थाना बरही, जिला हजारीबाग गैरमजरूआ खास किस्म की भूमि है, जिसे चितो कुम्हार, बिहारी कुम्हार एवं तिलक कुम्हार को बन्दोबस्ती से मिला है एवं दखल कब्जा में है तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद उक्त रैयत के नाम अंचल बरही के रजिस्टर–II के पेज संख्या 32/। खाता संख्या 27/4 का लगान रसीद वर्ष 93–94 तक देय है। जमाबंदीदार के मृत्यु पर्यंत उनके वंशजों ने उक्त जमीन पर दखल कब्जा में रखा। उन्ही के वंशज में धनू कुम्हार पिता स्व0 चितों कुम्हार, चमन कुम्हार पिता बिहारी कुम्हार, केवल कुम्हार पिता तिलक कुम्हार द्वारा कोयली के ग्रामीणों के नाम दान दिया गया, जिसपर हिन्दु समुदाय के लोग सार्वजनिक पूजा पाठ के रूप में उक्त जमीन का उपयोग करते आ रहें है। दिनांक 25.02.1970 में लिखे दान के आधार पर चौहदी उ0–रोड, द0–इलियास मियां पू0–किशुन कुम्हार एवं प0–रामकिशुन यादव है। ये भी कहना है कि विपक्षी के इस वाद में कोई रूची नहीं है केवल एक समुदाय विशेष को परेशान किया जा रहा है एवं प्रथम पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त भूमि समाज के लिए निश्चित किया गया है। कागजात के रूप में निम्न दस्तावेज उपलब्ध समर्पित किया गया है:–

1. लगान रसीद संख्या 042880 वर्ष 1984–85 तक निर्गत की छायाप्रति।
2. फर्द रिपोर्ट अमीन की छायाप्रति।
3. हुकुमनामा की छायाप्रति।
4. दान पत्र की छायाप्रति।
5. जांच प्रतिवेदन पत्रांक संख्या 672/26.09.14 एवं 217/25.04.16 की

छायाप्रति।

6. बजरंग दल कमिटि की एकरारनामा की छायाप्रति।

7. शपथ पत्र संख्या 3694, दिनांक 08.08.16 की छायाप्रति।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने अपना लिखित कथन दाखिल किया जिसमें कहा गया है कि उक्त खाता प्लॉट एवं रकबा चितों कुम्हार के नाम बंदोबस्त है, जिसमें विवादित रकबा धर्म स्थल के नाम से आवेदित है परन्तु आवेदन को अपने प्रथम पक्ष का दावा हेतु चितों कुम्हार के कोई वंशज पक्षकार नहीं है। यह भी कि अचंल अधिकारी, बरही के जांच प्रतिवेदन 672 दिनांक 26.09.2014 अपूर्ण है तथा टेबल मेड है। यह भी कि खाता संख्या 27/30 ग्राम कोयली थाना बरही जिला हजारीबाग को जमीन गैरमजरूआ खाते की भूमि है, जिसमें विभिन्न प्लॉटों के अन्तर्गत कुल रकबा 3.55 ए0 भूमि बंधन महतो पिता तेजो महतो को बंदोबस्ती से हासिल है और वर्ष 2007–08 तक सरकारी रसीद निर्गत है, जो अंचल कार्यालय के पंजी–II में पृष्ट संख्या 75/। पर अंकित है। यह भी कि बन्दोबस्ती रैयत बंधन महतो विपक्षी के पिता है और अपने पिता की मृत्यु उपरान्त शांतिपूर्ण दखलकार है। यह भी कि आवेदक एवं उनके अन्य सहभागी षडयंत्र के तहत हडपना चाहते है, जबकि उनके पास कोई कागजात नही है। यह दावा का हक नहीं है। साक्ष्य के रूप में राजस्व कागजात दाखिल किया गया है।

उपरोक्त प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, बरही द्वारा दिनांक 23.12.16 का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि ग्राम कोयली, खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 1427, कुल रकबा 158.40 ए0 मधे रकबा 0.24 ए0 एवं किस्म जमीन परती कदीम सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। वर्तमान में पंजी–II के पेज संख्या 32/। पर खाता 27/4 में कुल रकबा 2.71 ए0 जमीन की जमाबंदी चितो कुम्हार को तिलक कुम्हार, बिहारी कुम्हार के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 1980–81 से वर्ष 2006–07 तक निर्गत है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष एक ही भूमि पर दावा करते है। प्रथम पक्ष द्वारा दिखाये गये कागजातों के अनुसार खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 1427, रकबा 0.24 ए0 भूमि धर्म स्थल के नाम से सार्वजनिक के लिए छोडा गया है। वर्तमान में उक्त भूमि परती के रूप में है। उक्त विवादित भूमि से उत्तर में रोड निकाला गया है, जो प्लॉट संख्या 1427 में भी बना हुआ है। पुनः अचंल अधिकारी बरही के पत्रांक 607, दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से मौजा कोयली के खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 1427, रकबा 0.24 ए0 भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है, कि ग्राम कोयली थाना संख्या 68 में खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 1427, कुल रकबा 158.40 ए0 मधे रकबा 24 डी0 गैरजमरूआ खास किस्म परती कदीम है। ऑनलाईन पंजी–2, 1/25 में खाता संख्या 27, रकबा 3.37 ए0 बंधन महतो पिता तेजो महतो के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसका वर्ष 2007–08 तक रसीद इन्द्राज है। यह भी प्रतिवेदित किया है कि स्थल जांचोपरान्त प्रश्नगत प्लॉट के दक्षिण में इलयास

मियां पिता स्व0 गंदौरी मियां केवाला संख्या 18213 दिनांक 18.12.2006 के माध्यम से खरीद कर मकान बनाये हुए है तथा खलीम मियां पिता शोभा मियां का मकान है। पूरब में परती एवं किशुन प्रजापति का मकान है, पश्चिम रामकिशुन यादव का मकान है एवं उत्तर में रास्ता है। प्रश्नगत प्लॉट के मधे रकबा 24 डी0 परती है एवं दखल कब्जा बंधन महतो का है।

वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों का दाखिल लिखित जवाब एवं कागजातों के अवलोकन एवं उभय पक्षों के विद्यवान अधिवक्ता को सुनने एवं समीक्षोपरान्त तथा अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 1427, कुल रकबा 158.40 ए0 मधे रकबा 24 डी0 गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि है, जिसपर रकबा 2.71 ए0 भूमि की जमाबंदी चितो कुम्हार वो तिलक कुमार, बिहारी कुम्हार के नाम खाता सं0 27/4 में पंजी–2 के पृष्ट संख्या 32/। पर कायम होकर वर्ष 1983–84 से वर्ष 1993–94 तक रसीद निर्गत है, जिसपर दावा है, जबकि भिखी महतो के दाखिल कागजात के अनुसार पंजी–2 के पेज संख्या 75/। खाता संख्या 27/30 में कुल रकबा 3.37 ए0 पर दावा करते है। अचंल अधिकारी, बरही के प्रतिवदेनानुसार दोनों पक्ष एक ही भूमि पर दावा करते है, परन्तु अंचल अधिकारी का दिनांक 23.12.16 का जांच प्रतिवदेन में चितो कुम्हार वगै0 को खाता 27/4 पर जमाबंदी बताया गया है, जबकि भिखों महतो का खाता संख्या 27/30, उक्त खाता प्लॉट का 24 डी0 भूमि जिसपर प्रथम पक्ष चितो कुम्हार द्वारा एकरारनामा एवं बदलैन पर सार्वजनिक उपयोग के लिए हासिल बताया जाता है, द्वितीय पक्ष को अपना बताना आपति है। परन्तु दोनों पक्ष द्वारा उक्त खाता प्लॉट पर अपना दावा के साक्ष्य में स्पष्ट कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अंचल अधिकारी बरही द्वारा भी पंजी–2 पर चितो कुम्हार वगै0 का जमाबंदी का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है और न भिखी महतो का जमाबंदी का आधार स्पष्ट किया गया है। दोनों पक्ष के दावा के आधार पर यह स्वत्व का भी मामला प्रतीत होता है। चूंकि उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं सामाजिक सौहार्द से जुडा हुआ है एवं ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय का कोई स्पष्ट आदेश नहीं पारित होता है, यथावत बनाये रखेंगे। अचंल अधिकारी, बरही को अनुपालनार्थ भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

19/11/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.03.14 10:03:36 +05:30
Location: 192.168.1.40

19/11/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।